

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/

1834

दिनांक - 30-7

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अमराराम 2 तेजाराम 3 भीमाराम
पिसरान लुम्बाराम जाति सुथार निवासी
डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 प्रगाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति
सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला
तला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 212/2019

दिनांक- 26-7

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1584/1448 रकबा 08.17 बीघा व खसरा संख्या 1590/1448 रकबा 19.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30.7.19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1835-1838
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. अमराराम पुत्र लुम्बाराम वगैराह जाति सुथार डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रगाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर